उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन', निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

विस्तार सूचना

प्रारूप, उविनिआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामलें) विनियम, 2026 (UERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2026) पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा प्रारूप, **उविनिआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामलें) विनियम, 2026** जारी किया गया है। प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.uk.gov.in में अपलोड किया गया था तथा उक्त पर सभी स्टेकहोल्डर्स से टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 17.09.2026 तक आंमत्रित किये गये थे।

2. निर्धारित तिथि तक आयोग को पर्याप्त संख्या में टिप्पणियाँ/सुझाव/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुईं। अतः आयोग ने इन टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **28.09.2026** तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, टिप्पणियाँ/सुझाव/आपत्तियाँ आयोग के विचारार्थ अधोहस्ताक्षरी को **28.09.2026** तक डाक, ई–मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

विज्ञा0सं0–14/2026–27

सचिव